

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी **प्रभा गौतम**, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 129/2023 (रा.गु.नि.)
पंजीयन दिनांक 11.08.2023
G.C.M.S. NO. :-2023/129

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-प्रार्थी

बनाम

श्री सत्यनारायण उर्फ सत्तु पिता श्री गोविन्द बिलोची, उम्र 42 वर्ष, निवासी बापू नगर सैती, थाना सदर चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़

-गैरसायल

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975

उपस्थिति : 1- अभियोजन अधिकारी, राजकीय पैरोकार
2-श्री शैलेन्द्र सिंह राव, अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय

दिनांक 17.11.2025

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि गैरसायल बानू नगर सैती, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ का निवासी होकर उक्त व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है। दिनों-दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है। यह जुआ-सट्टा का अवैध कृत्य कर अवांछनीय समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। इस व्यक्ति के भय से आम जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध गवाही देने का साहस ही नहीं करता है। अतः गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।



प्रकरण संख्या 129/2023 (रा.गु.नि.)
सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ बनाम श्री सत्यनारायण उर्फ सत्तु पिता गोविन्द बिलोची निवासी बापू नगर सैती, चित्तौड़गढ़ थाना सदर चित्तौड़गढ़ जिला-चित्तौड़गढ़

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब कर नोटिस सुनाया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह राव द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। गैरसायल ने नोटिस सुन-समझ कर आरोप अस्वीकार किये एवं जवाब प्रस्तुत कर ट्रायल चाही जिससे गैरसायल को आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित होने हेतु जमानत एवं मुचलके प्रस्तुत करने के आदेश दिये। गैरसायल द्वारा आदेश की पालना में मुचलका एवं जमानत पत्र प्रस्तुत किये जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्ष्य पैरवी में श्री नवनीत बिहारी व्यास, थानाधिकारी, थाना सदर हाल पुलिस मुख्यालय, जयपुर के बयान कराये। अधिवक्ता गैरसायल ने गैरसायल की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस हेतु निवेदन किया।

अभियोजन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, दिनों-दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है। यह व्यक्ति जुआ-सट्टा खेलने एवं समाज विरोधी अवांछनीय कृत्य करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध गवाही देने का साहस ही नहीं करता है। गैरसायल के विरुद्ध कुल 02 प्रकरण दर्ज हुए हैं:-

- 1- प्र.सं. 362/2016 धारा 13 आर. पी. जी. ओ. एक्ट
- 2- प्र.सं. 15/2017 धारा 13 आर. पी. जी. ओ. एक्ट

गैरसायल को उक्त 02 प्रकरणों में से दोनों ही प्रकरणों में सजा हो चुकी है। उक्त प्रकरण में उपस्थित गवाहान ने भी अपने बयान में गैरसायल का आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना व किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके भय के कारण साक्ष्य नहीं देने के संबंध में इस्तगासे में अंकित तथ्यों की पुष्टि की है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों के तथ्यों के आधार पर उसे गुण्डा घोषित करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः गैरसायल को गुण्डा घोषित करते हुए इस जिले से 6 माह की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश फरमाये जावे।

गैरसायल के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल के विरुद्ध द्वेषतावश गुण्डा एक्ट में कार्यवाही प्रस्तुत की है। गैरसायल के खिलाफ ऐसा कोई आपराधिक मामला निर्णित नहीं हुआ है जिससे आम जनता में भय व्याप्त हो, या आम जनता की सम्पत्ति का नुकसान हो रहा हो। गैरसायल भारतीय दण्ड संहिता



प्रकरण संख्या 129/2023 (रा.गु.नि.)
सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ बनाम श्री सत्यनारायण उर्फ सत्तु पिता गोविन्द बिलोची निवासी बापू नगर सैती, चित्तौड़गढ़ थाना सदर चित्तौड़गढ़ जिला-चित्तौड़गढ़

के अध्याय 15, 17 व अध्याय 22 के अधीन आने वाले अपराध करने की दुष्प्रेरणा में न तो लगा हुआ है और न ही ऐसे अपराध कर रहा है। वर्ष 2017 के बाद गैरसायल के विरुद्ध किसी भी धारा के अपराधिक मामले दर्ज नहीं हुए हैं। गैरसायल गरीब व्यक्ति होकर मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का बड़ी मेहनत से शान्तिपूर्वक भरण पोषण कर रहा है। मोहल्ले में कभी कोई शान्ति भंग नहीं की है, जिससे मोहल्ले में विपरीत प्रभाव पड़ता हो। गैरसायल के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई है। अतः सहानुभूति का रूख अपनाते हुए प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। गैरसायल के विरुद्ध वर्ष 2016 से 2017 तक कुल 02 प्रकरण दर्ज हुए हैं उन दोनों ही प्रकरणों में गैरसायल को सजा होना बताया गया है। गैरसायल के विरुद्ध उक्त दर्ज 02 ही प्रकरण वर्ष 2016 से 2017 तक दर्ज होकर दोनों ही प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है तथा वर्ष 2017 के बाद गैरसायल के विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं होना प्रतिवेदित है तथा इसके बाद गैरसायल का जिले एवं उसके किसी भाग में धारा (2) के खण्ड (ब) के उपखण्ड 1 से 8 में वर्णित कार्य करने में रत होना एवं उनके दुष्प्रेरण में लगा हुआ होना भी नहीं पाया गया।

अतः गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार के कृत्य नहीं करने की चेतावनी देते हुए, उसके परिवार की परिस्थितियों को मध्यनजर रख, सहानुभूति रखते हुए प्रार्थी द्वारा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत गैरसायल को गुण्डा घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत इस्तागासा खारिज किया जाता है।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’



(प्रभा गौतम)